(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2839-एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-6-2012 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 122/निगरानी/2008-09 .

सुरेन्द्र कुमार आत्मज रघुनाथ प्रसाद
निवासी वार्ड नम्बर 10, बनापुरा सिवनी मालवा
तहसील एवं जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक एवं
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 एवं म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 42 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित 12-6-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक, सतवासा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी मालवा के समक्ष प्रपत्र 5 प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/अ-90/बी(3)/1992-93 दर्ज कर आवेदक के विरूद्ध अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर दिनांक 17-8-2005 को आदेश पारित कर नियत दिनांक 7-3-74 को धारक के कुटुम्ब में अधिनियम की धारा 2 जी.जी. के अनुसार चार सदस्यों का कुटुम्ब मानकर आवेदक को 54 एकड़ सूखी भूमि धारण करने की पात्रता पाते हुए शेष 115.55 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित करने के लिए ड्राफ्ट स्टेटमेंट जारी किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 19-1-2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा

दिनांक 12-6-2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को समझे बगैर आदेश पारित किया है, जिसे स्थिर रखने में अपर कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये प्रकरण में, प्रकरण प्रारम्भ होने के दिनांक को धारक द्वारा धारित कुल भूमि तथा उसी दिनांक को धारक एवं उसके परिवार की पात्रता की गणना कर, आदेश पारित किया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में नियत दिनांक 7-3-74 की स्थिति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक के विरूद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही वर्ष 1992 में प्रारम्भ की गई है और प्रकरण प्रारम्भ होने के दिनांक को आवेदक के परिवार में पत्नी, माँ (जिनकी मृत्यु 16-6-96 को हुई), दो पुत्र तथा दो पुत्र वधु एवं दो अविवाहित पुत्रियां थी । इस प्रकार अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रकरण प्रारम्भ होने दिनांक को आवेदक के परिवार को 257 एकड़ भूमि की पात्रता थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सतवासा व बनापुर स्थित आवेदक की भूमि वर्ष 1971 एवं 1974 में असिंचित थी । यदि नियत दिनांक को आधार मानकर गणना करना थी, तब भूमि को असिंचित माना जाना चाहिए था, क्योंकि वर्ष 1986-87 से सिंचित हुई है । यह भी कहा गया कि आवेदक के पिता दिनांक नियत दिनांक 7-3-74 को जीवित थे, उनकी मृत्यु वर्ष 1990 में हुई थी । आवेदक के पिता द्वारा अपनी भूमि का पंजीकृत बटवारा दिनांक 17-10-1988 को किया था, जिसके अनुसार आवेदक के दोनों पुत्रों को ग्राम बनापुर स्थित 11.38 +11.37 एकड़ भूमि बटवारे में प्राप्त हुई थी । उपरोक्त तथ्यों को सक्षम अधिकारी द्वारा अनदेखा कर, आवेदक के पुत्रों की भूमि का आवेदक द्वारा अन्तरित करना मानकर आदेश पारित करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक की पुत्री ज्योति को 14 एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई थी, उक्त भूमि आवेदक द्वारा नहीं दी गई है । ऐसी स्थिति में पुत्री द्वारा धारित 14 एकड़ भूमि की गणना आवेदक के साथ नहीं की जा सकती और यदि गणना की जाती है तो, उस पुत्री की पात्रता भी देखी जानी चाहिए । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख तक अपने आदेश में नहीं किया गया है, जो कि न्यायालयीन प्रक्रिया के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरूद्ध अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रकरण प्रारंम्भ करने के दिनांक को आवेदक के नाम

लगभग 62 एकड़ भूमि थी, जो परिवार की पात्रता के अनुसार कम थी । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 98 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारक के परिवार की विधिवत गणना की जाकर नियत दिनांक 7-3-74 को अधिनियम के अन्तर्गत 54 एकड़ भूमि धारण करने पात्रता होने से शेष भूमि अतिशेष घोषित की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत पाते हुए अपर कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा यथावत रखने में कोई भूल नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में सीलिंग अधिनियम की धारा 15 के तहत वर्ष 1992-93 में कार्यवाही प्रारम्भ की गई लेकिन नियत दिनांक 7-3-74 को आधार मानकर कार्यवाही की गई है, जो कि नियमानुसार नहीं है । वास्तव में अधिनियम की धारा 15 में कार्यवाही प्रारम्भ दिनांक की स्थिति में पात्रता/परिवार की जांच कर निर्णय लिया जाना था, परन्तु इस प्रकरण में इस महत्वपूर्ण बिन्दु को अनदेखा कर जांच की गई है । आवेदक ने यह बिन्दु अपर कलेक्टर एवं आयुक्त के समक्ष भी उठाये थे लेकिन उन्होंने इस पर विचार ही नहीं किया । यदि सक्षम अधिकारी का यह मानना था कि दिनांक 7-3-74 की स्थिति में भी धारक के पास अतिशेष भूमि थी तथा तत्समय उसके विरूद्ध प्रकरण संस्थित नहीं हुआ था तो दिनांक 7-3-74 की स्थिति में ही परिवार/भूमि की जांच करना होगी और यदि बाद में उसने सीलिंग से अधिक भूमि क्रय की है तो ऐसी दिनांक जिसको सीलिंग से अधिक भूमि धारण करते थे, को ही नियत दिनांक मानकर पात्रता देखनी होगी । इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दिनांक 1-9-93 को प्रथम नोटिस दिया गया है तो दिनांक 1-9-93 की स्थिति में परिवार/भूमि की जांच की जानी चाहिए थी । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के तीनों आदेश निरस्त कर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार प्रकरण में पुन: जांच कर निर्णय लेवें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर